रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244619 SG-DL-E-23032023-244619

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/ <del>चै</del> त्र 1, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 576
No. 99]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945	[N. C. T. D. No. 576

## भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2023

**फा. सं. 21/21/Apprn. 2/2023/LAS-VII/Leg./24571.**—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

2023 की विधेयक संख्या 03

(जैसा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 22 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित किया गया)

1926 DG/2023 (1)

## 2023 की विधेयक संख्या 03

# दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

वर्ष 2022–2023 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त शीर्षक

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2023 है।
- े 159,16,54,000 / का वर्ष 2022 – 2023 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक सौ उनसठ करोड़ सोलह लाख चौवन हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2022–2023 की अविधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

#### विनियोजन

उ. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

# अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

# ( हजार में) निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	0	100
4	वित्त	राजस्व	1700	0	1700
6	शिक्षा	राजस्व	1000	0	1000
		पूँजी	100	0	100
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1000	0	1000
8	समाज कल्याण	राजस्व	600	5	605
9	उद्योग	राजस्व	100	0	100
10	विकास	राजस्व	1586149	0	1586149
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	100	0	100
	राहरा विकास आर लाक निर्माण	पूँजी	800	0	800
	योग		1591649	5	1591654

## उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2023, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दिल्ली, 22 मार्च, 2023

कैलाश गहलोत. वित्त मंत्री

## विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

राज कुमार, सचिव

#### DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 2023

F. No. 21/21/Apprn.2/2023/LAS-VII/Leg./24571.—The following is published for general information.—

## THE DELHI APPROPRIATION (NO. 02) BILL, 2023

BILL No. 03 of 2023

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 22 March, 2023)

BILL No. 03 OF 2023

## THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2023 A BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2022-2023.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-forth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2023.

Issue of `159,16,54,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2022-2023.

Appropriation.

- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees one hundred fifty nine crore sixteen lakh fifty four thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2022-2023 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
- 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

## THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(`In thousand)

#### SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
2	General Administration	Revenue	100	0	100
4	Finance	Revenue	1700	0	1700
		Revenue	1000	0	1000
6	Education	Capital	100	0	100
7	Medical and Public Health	Revenue	1000	0	1000
8	Social Welfare	Revenue	600	5	605
9	Industries	Revenue	100	0	100
10	Development	Revenue	1586149	0	1586149
11	Urban Development and Public	Revenue	100	0	100
	Works	Capital	800	0	800
	Total		1591649	5	1591654

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2023 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2022-2023.

This bill seeks to achieve the above objectives.

KAILASH GAHLOT, Finance Minister

Delhi, the 22nd March, 2023

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2023 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RAJ KUMAR, Secy.